

॥ कार्यालय पुलिस अधीक्षक जिला भरतपुर ॥

प्रैस-नोट

दिनांक:- 10.10.2018

दहेज उत्पीडन के मामले में 3 जने सलाखों के पीछे

1. **थाना लखनपुर:-** गांव भूतौली थाना हलैना निवासी श्री सहाबसिंह पुत्र नारायणसिंह जाति जाट ने गांव गोबरा थाना लखनपुर निवासी अपनी बहन के ससुरालीजनों के विरुद्ध प्रार्थी की बहन के साथ दहेज के लिये मारपीट कर जानलेवा हमला करने जिससे उसकी गर्भवती बहन का गर्भपात हो जाने का एक मामला दिनांक 01.09.2018 को थाना लखनपुर पर मु0नं0 8/18 धारा 143, 323, 341, 498ए, 315, 307, 120बी भा0द0सं0 में पंजीवद्ध कराया था। थानाधिकारी श्री राजेश यादव उ0नि0 द्वारा बाद अनुसंधान उक्त मामले के नामजद आरोपी प्रार्थी की बहन के पति 1. **लाखनसिंह पुत्र यादराम** व चचिया ससुर 2. **सहजराम**, 3. **अमृतलाल पुत्रान मलखान जातियान जाट निवासियान गोबरा थाना लखनपुर** को गरफतार किया गया है।

61 पव्वा अवैध शराव सहित किया गिरफ्तार

जिले में अवैध शराब तस्करों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत पुलिस द्वारा 61 पव्वा अवैध देशी शराव के जप्त कर 1 ब्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है।

1. **थाना सीकरी:-** श्री भरतलाल स0उ0नि0 द्वारा मुखविर की सूचना पर कस्वा सीकरी से 1. **पालसिंह पुत्र ईश्वरसिंह जाति रायसिख निवासी फूटाकी खोहरी थाना सीकरी** को 61 पव्वा अवैध देशी शराव के गिरफ्तार कर मु0नं0 240/18 धारा 19/54 आबकारी अधिनियम के तहत पंजीबद्ध किया गया है।

2 स्थाई वारंटी/वारंटी बन्द हवालात

जिला पुलिस द्वारा वारंटी/स्थाई वारंटियो की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान अलग-अलग स्थानों से 1 स्थाई वारंटी व 1 वारंटी को गिरफ्तार किया गया है।

1. **थाना अटलबंद:-** श्री ताराचन्द हैड कानि० द्वारा मुखविर की सूचना पर बीनारायण गेट से वारंटी 1. उदयभान पुत्र शिवलाल जाति गुर्जर निवासी बीनारायणगेट थाना मथुरागेट को गिरफ्तार किया गया है।
2. **थाना नगर:-** श्री भूरीसिंह स०उ०नि० द्वारा मुखविर की सूचना पर गांव सैमला खुर्द से स्थाई वारंटी 1. रजनीचन्द पुत्र गंगाराम जाति जाटव निवासी सैमला खुर्द थाना नगर को गिरफ्तार किया गया है।

4 जुआरी बन्द हवालात

850 रूपये बरामद

भरतपुर पुलिस द्वारा जिले में जुआ/सट्टेवाजों के विरुद्ध चलाये जा रहे विशेष अभियान के दौरान कार्यवाही कर अलग-अलग स्थानों से 4 ब्यक्तियों को गिरफ्तार कर कब्जे से कुल 850 रूपये नकद मय जुआ सामग्री के जप्त किये गये हैं।

1. **थाना नदबई:-** नदबई पुलिस द्वारा अलग-अलग स्थानों से 1. शैलेश पुत्र गोपाल जाति ब्राह्मण, 2. देवेन्द्र पुत्र पूरन तथा 3. उमाशंकर पुत्र मदन, 4. सतीश पुत्र छीतर जातियान कोली निवासियान कस्वा नदबई को क्रमशः 420, 430 रूपये (850 रूपये) मय जुआ सामग्री के गिरफ्तार कर मु०नं० क्रमशः 617, 618/18 धारा 13 आर०पी०जी०ओ० के तहत पंजीबद्ध किये गये हैं।

शराबी वाईक चालक पुलिस पकड में

1. **थाना सेवर:-** श्री धनपतसिंह स०उ०नि० द्वारा मैडिकल कॉलेज के पास से शराव के नशे में वाईक चलाते हुए पाये जाने पर आरोपी वाईक चालक 1. चन्दरसिंह पुत्र किशनसिंह जाति माली निवासी श्रीनगर थाना सेवर को गिरफ्तार कर मोटदसाईकिल को एम०वी० एक्ट के तहत जप्त किया गया है।

शान्ति भंग करने के आरोप में 41 जनों को किया गिरफ्तार

- 1. थाना भुसावर:—** भुसावर पुलिस द्वारा अलग-अलग स्थानों से 1. लोकेन्द्र पुत्र लेखराज, 2. राजवीर, 3. राजेश पुत्रान रेवती जातियान जाटव निवासियान नहरपुर थाना भुसावर, 4. भंवरसिंह व 5. मुकट पुत्रान चन्द्रसिंह जातियान धाकड निवासियान नगला सिरसियान थाना भुसावर को गिरफ्तार किया गया है।
- 2. थाना रूदावल:—** श्री उदयसिंह हैड कानि० द्वारा अलग-अलग स्थानों से 1. नाहरसिंह पुत्र भूपसिंह जाति ब्राह्मण निवासी नगला तुला थाना रूदावल, 2. सुरेन्द्र पुत्र भजनलाल व 3. प्रवल पुत्र यादनाथ जातियान योगी निवासियान बृह्मवाद थाना रूदावल को गिरफ्तार किया गया है।
- 3. थाना मथुरागेट:—** मथुरागेट पुलिस द्वारा अलग-अलग स्थानों से 1. पिन्दू पुत्र राजेन्द्र, 2. राजेन्द्र पुत्र यादराम, 3. महेन्द्र पुत्र सोरन, 4. विनोद पुत्र भोलाराम, 5. डिम्पल पुत्र मदनलाल जातियान जाटव निवासियान राधाकृष्ण मंदिर के पास थाना मथुरागेट, 6. गोविन्द पुत्र पप्पू जाति जाटव निवासी मगोर्रा जिला मथुरा यू०पी० व 7. लालाराम पुत्र होतलाल जाति निसाद निवासी संजयनगर थाना मथुरागेट को गिरफ्तार किया गया है।
- 4. थाना सेवर:—** श्री विजयकुमार हैड कानि० द्वारा गांव बगधारी से 1. टीपू पुत्र बदनसिंह जाति जाट निवासी सज्जनवास थाना रुपबास, 2. राकेश कुमार पुत्र प्रभूदयाल जाति जाटव निवासी नगला मेघसिंह थाना बयाना, 3. शेरसिंह पुत्र सरवन जाति गाडीया लुहार निवासी कस्वा रुपबास व 4. अजीत पुत्र परसराम जाति गुर्जर निवासी सिवाल थाना बरसाना जिला मथुरा को गिरफ्तार किया गया है।
- 5. थाना नदबई:—** श्री नवलकिशोर हैड कानि० द्वारा थाना परिसर से 1. खैमचन्द पुत्र हीरा जाति जाटव निवासी मांझी थाना नदबई को गिरफ्तार किया गया है।
- 6. थाना डीग:—** श्री विजेन्द्रसिंह स०उ०नि० द्वारा कस्वा डीग से 1. देवेन्द्र पुत्र नैमी जाति सैनी, 2. दीपक पुत्र बलबन्तराम जाति रैगर, 3. नन्दकिशोर व 4. ईश्वर पुत्रान डालूराम जातियान कोली निवासियान कस्वा डीग को गिरफ्तार किया है।
- 7. थाना कैथवाडा:—** थानाधिकारी श्री गुलाबसिंह उ०नि० द्वारा कस्वा कैथवाडा से 1. लियाकत पुत्र असरू जाति मेव निवासी खल्लूका थाना पहाडी, 2. रायखां पुत्र बुद्धी जाति मेव निवासी ऊभाका थाना पहाडी व 3. साजिद पुत्र हकमुद्दीन जाति मेव निवासी जाजलपुर थाना वहीन हरियाणा को गिरफ्तार किया गया है।

8. **थाना सीकरी:**— श्री भगतसिंह हैड कानि० द्वारा गांव रनियाला से 1. उन्नस पुत्र पिड्डी व 2. जाहिद पुत्र हमीद जातियान मेव निवासियान रनियाला थाना सीकरी को गिरफ्तार किया गया है।
9. **थाना पहाडी:**— श्री विश्वामित्र हैड कानि० द्वारा थाना परिसर से 1. अल्लादीन व 2. इस्लाम पुत्रान दलमीर जाति मेव निवासी सरवरका थाना पहाडी को गिरफ्तार किया गया है।
10. **थाना कामां:**— श्री महेन्द्रसिंह हैड कानि० द्वारा कस्वा कामां से 1. हरीशचन्द, 2. सीताराम पुत्रान नत्थाराम, 3. ओमकार व 4. कृष्णा पुत्रान सीताराम जातियान तेली निवासियान कस्वा कामां को गिरफ्तार किया गया है।
11. **थाना कुम्हेर:**— श्री तारासिंह स०उ०नि० द्वारा गांव सावौरा से 1. नरेन्द्र पुत्र लक्ष्मणसिंह जाति मीणा निवासी सावौरा थाना कुम्हेर को गिरफ्तार किया गया है।
12. **थाना चिकसाना:**— श्री रामवीरसिंह हैड कानि० द्वारा से गांव सैंथरा से 1. बृजो पुत्र किशन, 2. भगवानसिंह पुत्र दौजीराम व 3. फूलसिंह पुत्र नानकचन्द जातियान जाटव निवासियान सैंथरा थाना चिकसाना को गिरफ्तार किया गया है।
13. **थाना खोह:**— थानाधिकारी श्री हेमराज मीणा उ०नि० द्वारा गांव पास्ता से 1. सुरेश व 2. रमेश पुत्रान घीसा जाति गुर्जर निवासी दिदावली थाना डीग को गिरफ्तार किया गया है।

476 वाहन चालकों के खिलाफ की कार्यवाही

जिला भरतपुर में वाहन चालकों के विरुद्ध चलाये जा रहे विशेष अभियान के तहत यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर **476** वाहन चालकों के खिलाफ कार्यवाही की गई है। ओवरलोड में सभी प्रकार के वाहन दोपहिया, चौपहिया वाहनों के चालकों के खिलाफ यातायात नियमों के तहत कार्यवाही की गई है, जिससे ओवरलोड वाहनों से होने वाली सडक दुर्घटनाओं से निजात मिल सके। ओवरलोड कार्यवाही में **274** वाहन चालकों के चालान किये गये हैं। ऐसे वाहन चालक जो अपने वाहनों को नम्बर डाले वगैर सडकों पर दौडाते रहते हैं, और दुर्घटना करके भाग जाते हैं तथा चोरी के वाहनों का भी पता नहीं चल पाता है इसलिये बिना नम्बरी **68** वाहनों को जप्त किया गया है। इसी प्रकार अन्य यातायात नियमों के उल्लंघन जैसे बिना हेलमेट लगाये वाहन चलाना, दो व्यक्ति से ज्यादा, नो पार्किंग आदि के आरोप में **134** वाहन चालकों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है।